2017/00437

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :- एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 63/2017 (राजसमन्द डिक्री)

1. उदयराम पिता स्वर्गीय मियाराम जी गाडरी, निवासी मउ, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. भंवरलाल पिता स्वर्गीय मियाराम जी गाडरी, निवासी मउ, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. भैरूलाल पिता स्वर्गीय मियाराम जी गाडरी, निवासी मउ, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. खेमा पुत्री स्वर्गीय मियाराम जी गाडरी पत्नी डालचन्द जी गाडरी, निवासी घाटी, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
5. अणछी पुत्री स्वर्गीय मियाराम जी गाडरी पत्नी भैरा जी गाडरी, निवासी कालीमगरी का खेड़ा, तहसील गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)
6. धापु पुत्री स्वर्गीय मियाराम जी गाडरी पत्नी भूरा जी गाडरी, निवासी सकरावास, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

मोहनलाल पिता जयराम जी गाडरी मृतक के बजाय वारिसान :-

1. शंकरलाल पिता मोहनलाल जी गाडरी, निवासी मउ, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. देवीलाल पिता मोहनलाल जी गाडरी, निवासी मउ, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. जमनालाल पिता मोहनलाल जी गाडरी, निवासी मउ, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. नानी पुत्री मोहनलाल जी गाडरी पत्नी सरू जी गाडरी, निवासी सोनियाणा, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
5. शांता पुत्री मोहनलाल जी गाडरी पत्नी हुकमीचन्द जी गाडरी, निवासी वगतपुरा, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
6. कमला पुत्री मोहनलाल जी गाडरी पत्नी मुलचन्द जी गाडरी, निवासी बड़ा बामनिया, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
7. गणेशी बेवा मोहनलाल जी गाडरी, निवासी मउ, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)
8. ऐजी बेवा मोहनलाल जी गाडरी, निवासी मउ, तहसील रेलमगरा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... रेस्पोन्डेन्टगण

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा–223 रा० का०
अ०–1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा दिनांक
16–05–2017 प्रकरण सं. 68/2012

24

उपस्थित (वक्तबहस) 1. श्री विश्वजीतसिंह कर्णावट अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री डी० एस० कर्णावट अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

निर्णय दिनांक 24–12–2018

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोन्डेन्ट मोहनलाल द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वाद संख्या 342/2010 स्वत्व घोषणा व आधिपत्य भूमि का पेश किया। उक्त वाद में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27–06–2011 से वादी का वाद डिक्री किया।

उक्त वाद संख्या 342/2010 के विरूद्ध अपीलान्ट/प्रतिवादीगण द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 167/2011 प्रस्तुत की गयी, जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21–06–2012 स्वीकार की जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को दोनों पक्षों की सहमति से रिमाण्ड किया गया, जिसके कम में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 19–07–2012 को पुनः प्रकरण संख्या 68/2012 के रूप में दर्ज किया गया।

प्रकरण दर्ज होने के बाद अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 09–08–2012 अनुसार वकील वादी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते तथा वकील प्रतिवादी की साक्ष्य हेतु पत्रावली रखी तथा दिनांक 22–11–2012 को प्रतिवादी साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं, इस आशय की आदेशिका लिखी गयी है तथा इसके बाद दिनांक 23–05–2013 से प्रकरण बहस में लम्बित चल रहा था। इसी दौरान प्रकरण में देउ बाई पत्नी मियाराम की मृत्यु हो जाने के कारण पत्रावली कायम मुकाम में चली तथा इसके बाद प्रकरण पुनः बहस में चलता रहा। अन्ततोगत्वा दिनांक 09–03–2017 को उभयपक्षों के अधिवक्ता उपस्थित, बहस हेतु अवसर चाहते हैं, यह आदेशिका में अंकित किया गया तथा आगामी तिथि दिनांक 13–04–2017 को पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 11–05–2017 नियत की गयी, परन्तु इसके स्थान पर पत्रावली दिनांक 27–04–2017 को पेश होकर

उप-प्रबन्ध अधिकारी
...राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

अंकित किया गया कि पत्रावली को कोर्ट कैम्प पर रखा जाकर पक्षकारान को सूचित किया जावे। पत्रावली को कैम्प कोर्ट पर दिनांक 16–05–2017 को रखे जाने का आदेश दिया गया तथा दिनांक 16–05–2017 को लिखा गया कि पत्रावली का अवलोकन किया जाकर निर्णय पृथक से लिखाया गया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर कर डिक्री पारित कर दी।

25

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 16–05–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 24–10–2017 को पेश की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं थी। उक्त प्रकरण में वादी की मृत्यु हो जाने से अपीलान्ट तो उसके वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने की कार्यवाही समझ रहा था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण कैम्प पर रख कर निर्णय कर दिया गया, जिसकी कोई जानकारी अपीलान्ट को नहीं दी गयी। दिनांक 14–09–2017 को अपीलान्ट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त प्रकरण की जानकारी की तो उसे उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ प्रकरण में हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण लोक अदालत में रखे जाने से पूर्व उभयपक्षों को नोटिस जारी नहीं किये गये हैं तथा उन्हें दिनांक 16–05–2017 के निर्णय व डिक्री की जानकारी होने का कोई आधार नहीं है। तदनुसार न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से वकील श्री डी0 एस0 कर्णावट उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट द्वारा भी प्रकरण में कोस अपील प्रस्तुत की गयी, जिसकी नकल अधिवक्ता अपीलान्ट को दिलायी गयी। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है, हालांकि उसकी नकल वकील रेस्पोन्डेन्ट को नहीं दी गयी है।

उदयपुर

प्र. प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपने मीमो ऑफ अपील में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया गया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी क्रोस अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में संशोधन किये जाने की प्रार्थना की।

(21)

सर्वप्रथम अपील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा अपील पर विवेचन करना उचित समझते हैं। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख उजर यह लिया कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी मोहनलाल की मृत्यु दिनांक 31–03–2017 को हो गयी इस कारण वाद उपशमन हो गया है, फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने मृतक मोहनलाल वादी की मृत्यु के बाद भी वाद डिक्री कर दिया, जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत है। मृतक के विरूद्ध यह पक्ष में डिक्री स्वतः शून्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रशासन गांव के संग कैम्प में दिनांक 16–05–2017 को अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को बिना सूचना दिये व बिना सुने निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय में दोनों ही पक्षों की अनुपस्थति का उल्लेख किया है एवं साथ ही यह भी उल्लेख किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नजीरों का अध्ययन किया गया। ऐसी स्थिति में जब दोनों ही अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे तो नजीरें किसने पेश की और वे कौन सी नजीरें थी जिसके आधार पर निर्णय पारित किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का विवेचन किये बिना तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध होने से अपास्त किया जावे।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात एवं बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा न्यायिक नजीर 2017 डी.एन.जे. (सुप्रिमकोर्ट) पेज 415, ए.आई.आर. 1966 आन्ध्रप्रदेश पेज 295, ए.आई.आर. 1919 मद्रास पेज 685 पेश की गयी है। उक्त सभी नजीरों में यह विवेचन किया गया है कि मृतक के पक्ष में या उसके विरूद्ध पारित निर्णय विधिक नहीं होता। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा मोहनलाल की दिनांक 21–03–2017 को मृत्यु हो जाने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह मरे हुए व्यक्ति के पक्ष में पारित किया गया है। अर्थात

उदयपुर
प्र.-प्रकरण अधिकारी ... उदयपुर (राज.)

जिस दिनांक को निर्णय पारित किया गया है उस दिनांक से पूर्व वादी की मृत्यु हो चुकी थी, जिससे उक्त डिक्री मरे हुए व्यक्ति के पक्ष में जारी हुई है। चूंकि इस प्रकरण में उभयपक्षों की बहस रेकार्ड/आदेशिका अनुसार नहीं सुनी गयी है, जबकि पत्रावली बहस के लिए नियत थी, परन्तु इसके बाद पत्रावली लोक अदालत में दिनांक 27-04-2017 को रखी गयी, जिसकी किसी प्रकार की सूचना अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को दिये जाने की कोई साक्ष्य नहीं है। दिनांक 27-04-2017 से पूर्व ही वादी की मृत्यु हो चुकी थी। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि बहस की ही नहीं गयी है, परन्तु बहस की स्टेज पर ही वादी की मृत्यु हो चुकी थी। यह सुस्पष्ट है कि बहस सुनने के बाद यदि किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो निर्णय विधिक होता है, परन्तु सुनवाई जिसमें बहस शामिल है, से पूर्व यदि किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के कायम मुकाम को रेकार्ड पर लिया जाना वांछनीय होता है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि लोक अदालत में पत्रावली रखे जाने से पूर्व अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है तथा स्वयं अधिनस्थ न्यायालय ने माना है कि उनके समक्ष उभयपक्षों के अधिवक्ता अनुपस्थित रहें हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में नजीरों का अवलोकन किया जाना भी वर्णित किया है, जबकि प्रकरण में न्यायिक नजीर प्रस्तुत किये जाने की कोई साक्ष्य नही है। प्रकरण में हम यह भी पाते हैं कि अपीलान्ट की अपील के सन्दर्भ में यह तथ्य विचारणीय रहता है कि वादी की मृत्यु हो जाने के बावजूद उसके कायम मुकाम को रेकार्ड पर लिये बिना तथा अपीलान्ट/प्रतिवादीगण को तथा वादी को भी बिना सुने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है, जो विधि अनुरूप नहीं है तथा प्राकृतिक न्याय के भी विरूद्ध है। तदनुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में मृतक वादी के वारिसान को रेकार्ड पर लेकर तथा उभयपक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर विधिक निर्णय पारित करें।

प्रकरण में जहां तक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत क्रोस अपील का प्रश्न है, उसके द्वारा यह निवेदन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री में ऑपरेटिव पार्ट में फाईडिंग के विरूद्ध निर्णय लिख दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी नंबर 1 से 3 का निर्णय वादी के पक्ष में किया

है, परन्तु ऑपरेटिव भाग में आराजी नंबर 202 से 205, 210, 248 से 252, 257, 258, 199 व 206 के 1/2 हिस्से का ही खातेदार घोषित किया है, जबकि आराजी नंबर 202 से 205, 210, 248 से 252, 257, 258 व 206 पूरी आराजीयात का तथा आराजी चाह नंबर 199 के 1/2 हिस्से का वादी मोहनलाल को खातेदार घोषित किया जाना चाहिए था।

→ प्रकरण में हम यह पाते हैं कि रेस्पोन्डेन्ट/वादी की उक्त क्रोस अपील पर अब विवेचन की कोई उपादेयता नहीं है, क्योंकि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय ही हमारे द्वारा अपास्त किया जा चुका है। अब रेस्पोन्डेन्ट/वादी अपनी क्रोस अपील के सन्दर्भ में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः निर्णय पारित करते समय अपना पक्ष रख सकता है। जब हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को ही अपास्त कर दिया गया है तो उक्त गणितीय/लिपिकीय/मानवीय भूल को हमारे द्वारा सुधार किये जाने की कोई उपादेयता नहीं है। तदनुसार उक्त क्रोस अपील पर हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त विवेचन के दृष्टिगत मूल वाद में निर्णय करते समय उभयपक्षों को सुनकर ही [अधिनस्थ न्यायालय द्वारा] निर्णय किया जाना उचित समझते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 16–05–2017 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए मृतक वादी के वारिसान को कायम मुकाम संस्थित कर तथा उभयपक्षों को सुनकर प्रकरण में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 25–02–2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24–12–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर